	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अशोक सिंघल बनाम लो0सू0अधि0 (जिला रसद अधिकारी धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 06 / 2021) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2021 / 8)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28.12.2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांक: रसद / सू.अ. / 2021 / 319 दिनांक 02.03.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑडिट पैराओं से सम्बधित 04 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई थी। बिन्दु संख्या 1 लगा03 की सूचना प्रश्नात्मक व निर्देशात्मक होने के कारण उन्हें कार्यालय में आकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने हेतु कहा गया तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना आवेदक को कार्यालय के पत्रांक 154 दिनांक 22. 01.2021 के जरिये भेजी जा चुकी है। जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑडिट पैराओं से सम्बधित 04 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है। बिन्दु संख्या 1 लगा03 की सूचना प्रश्नात्मक व निर्देशात्मक होने के कारण आवेदक कार्यालय में आकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने हेतु लो.सू.अधि. द्वारा लिखा गया है। आवेदक सम्बधित पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना इंगित कर सूचना प्राप्त कर सकता है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना आवेदक को भेजी जा चुकी है। जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	